भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5103
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार</u>

5103. श्री मनीष जायसवाल: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) किस प्रकार से कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है;

(ख) मंत्रालय किस प्रकार से यह सुनिश्चित करता है कि पीएम-कुसुम के लक्ष्य भारत के नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन शमन के राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ मेल खाता हो; और

(ग) पीएम-कुसुम किस प्रकार से एकीकृत कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आधार तैयार कर रहा है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) पीएम-कुसुम योजना की शुरुआत, मार्च 2019 में सरकार द्वारा स्टैंडअलोन सौर पंपों, मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण, और किसानों की भूमि पर सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना को सक्षम करने के लिए की गई थी। योजना के तीन घटकों का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख) पीएम कुसुम, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को घटाने और किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करने में मदद करता है। यह योजना भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके तीन घटकों के माध्यम से, यह योजना विकेन्द्रीकृत ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने के लिए सौर पंपों की स्थापना, और फीडर पर कृषि लोड के सौरीकरण के माध्यम से किसानों को दिन के समय की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में बढ़ावा दे रही है। यह ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करता है और वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्राप्त करने के देश के बड़े नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में भी योगदान करता है। यह योजना पूरी तरह से कार्यान्वित होने पर 40 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखती है।

(ग) पीएम कुसुम योजना सौर-संचालित सिंचाई पंप, फीडरों पर कृषि लोड का सौरीकरण और विकेन्द्रीकृत सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से एकीकृत खेती को बढ़ावा देती है। ये पहल किसानों को दिन के समय सुनिश्चित बिजली, सिंचाई की लागत को कम करने, और विभिन्न कृषि कार्यों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को संभव बनाती हैं। किसानों को अतिरिक्त विद्युत ग्रिड में वापस भेजने की अनुमति देकर, योजना अतिरिक्त राजस्व स्रोत उत्पन्न करती है।

अनुलग्नक-**I**

'कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार' के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5103 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत लक्ष्य, विशेषताएँ और प्रोत्साहन

योजना घटक	लक्ष्य और विशेषताएँ	प्रोत्साहन की संरचना
घटक 'क'	• किसानों द्वारा अपनी भूमि पर 10,000 मेगावाट विकेंद्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र (प्रति संयंत्र 2 मेगावाट तक) स्थापित करने का लक्ष्य। • किसान / सहकारिताएं / पंचायतें / परियोजना डेवलपर / किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए) पात्र हैं।	• डिस्कॉम्स को पाँच वर्षों के लिए प्रति यूनिट 0.40 रु. की दर से पीबीआई दिया जाता है (अधिकतम 33 लाख रु. प्रति वर्ष)
घटक 'ख'	• 14 लाख स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना का लक्ष्य	• अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 30% केंद्रीय सहायता (पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्र/द्वीपों के लिए 50%)।
घटक 'ग' (व्यक्तिगत पंप सौरीकरण)	• 35 लाख मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों और फीडर स्तर सौरीकरण (एफएलएस) के माध्यम से सौरीकरण का लक्ष्य।	• अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए व्यक्तिगत पंप सौरीकरण के लिए 30% केंद्रीय सहायता (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र/द्वीपों के लिए 50%)।
घटक 'ग' (फीडर स्तर सौरीकरण)		• फीडर स्तर सौरकरण के तहत फीडर पर कृषि लोड को सौरीकृत करने के लिए 1.05 करोड़ रुपये/मेगावाट की केंद्रीय वित्तीय सहायता।

*****